

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 84/23

तारीख 28/04/23

महावीर पुत्र सोहनलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. बाबूलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेवाडा उम्र वयस्क निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. माधु पुत्र अमरा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी कराडखेडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
03. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियाँ

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 7/6/23

प्रार्थना पत्र महावीर पुत्र सोहनलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री गिरधारीलाल आचार्य एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम जलिन्दी पटवार हल्का जलिन्दी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 192 पर अंकित आराजी संख्या 1087/953 रकबा 0.7851 हैक्टैयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के चिवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम जलिन्दी पटवार हल्का जलिन्दी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 192 पर अंकित आराजी संख्या 1087/953 रकबा 0.7851 हैक्टैयर भूमि बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 84/23

तारीख 7/6/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 84/23/ 2023 पत्थरगद्दी बाबत।

महावीर पुत्र सोहनलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी आकोला तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. बाबूलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेवाडा उम्र वयस्क निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. माधु पुत्र अमरा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी कराडखेडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
03. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियाँ

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवाणी प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम जलिन्दी पटवार इल्का जलिन्दी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 192 पर अंकित आराजी संख्या 1087/953 रकबा 0.7851 हैक्टैयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगद्दी की जावें। माँके पर पत्थरगद्दी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगद्दी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगद्दी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगद्दी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगद्दी करें। पत्थरगद्दी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



8
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा